

प0स0-3/23/2015-स्मा0  
भारत सरकार  
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
आगरा मण्डल, 22 माल रोड, आगरा

दिनांक:

22 JAN 2018

नोटिस

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के उप नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के आदेशानुसार दिनांक 25.01.2018 से ताजमहल के पूर्वीद्वार एवं पश्चिमी द्वार के खुलने एवं बन्द होने के समय में निम्न परिवर्तन किया जा रहा है:-


**ताजमहल खुलने का समय**

टिकट बुकिंग पटल                      सूर्योदय से 1 घण्टा पूर्व  
पर्यटक प्रवेश द्वार                    सूर्योदय से 30 मिनट पूर्व

**ताजमहल बन्द होने का समय**

टिकट बुकिंग पटल                      सूर्योस्त से 45 मिनट पूर्व  
पर्यटक प्रवेश द्वार                    सूर्योस्त से 30 मिनट पूर्व

दक्षिणी द्वार के खुलने एवं बन्द होने का समय यथावत रहेगा।

  
25.1.18  
अधीक्षण पुरातत्वविद्

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
5. कमाण्डेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इकाई ताजमहल, आगरा।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
8. उप उद्यानविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान शाखा, पूर्वीद्वार ताजमहल, आगरा।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन, 64 ताज रोड, आगरा।
10. सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला/सी एक्सप्रेस/डीएलए
11. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, आगरा
12. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुरातत्व, सकेत कालोनी, शाहगंज, आगरा।
13. सचिव, टुरिजिम गल्ड, होटल क्लार्क सिराज, आगरा
14. अध्यक्ष, आई.ए.टी.ओ., ट्रेवल ब्यरो, गेटवे होटल के निकट, फतेहाबाद रोड, आगरा।
15. संरक्षण सहायक, उपमण्डल ताजमहल को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना को प्रवेश शुल्क खिडकी पर चरपा कर छायाचित्र सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।